समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रेस्टो - 9018 - I-16 (97)

प्र0क0 (रेस्टोरेशन) /2016 मुरैना

दिनांक 8-2-16 को श्री सुनील सिंह जादौन एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत। 8-2-16 SO

मातादीन पुत्र कन्हैयालाल शर्मा जाति व्राम्हण निवासी ग्राम विलगांव चौधरी परगना जौरा जिला मुरैना

..........प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन

............अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण रेस्टोरेश किये जाने वावत आवेदन पत्र आदेश 9 सिविल प्रकिया संहिता एंव अतर्गत धारा 35(3) एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 के तहत।

6-2-16

श्रीमान जी,

आवेदका की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील 1231/एक/2013 दिनांक 30.03.013 को प्रस्तुत की गई । जो अपील अदम पैरमी मे आलोच्य आदेश दिनांक 15.12.14 से निरस्त कर दीगई है। जिस प्रकरण को पुनः चालू करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यहकि, आवेदक के प्रकरण को खारिज करने से पहले कोई सूचना व जानकारी नही दी गई और नाही नियुक्त एडवोकेट को कोई सूचना व जानकारी दी गई वगैर सूचना व नोटिस सूचना के निरस्त करने से अपीलार्थी न्याय से वचित हो गया हैं जो कि वैधानिक भूल है।
3. यहकि, आवेदक अपने प्रकरण मे आगे चलाने हेतु इच्छुक हैं एंव न्याय पाने की सम्पूर्ण उम्मीद है। जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।
4. यहकि, प्रकरण की सूचना व जानकारी प्राप्त नही हुई सर्व प्रथम ग्वालियर आने पर कार्यालय मे आकर सम्वधित बाबू से सर्म्पक कर प्रकरण की जानकारी चाही गई परन्तु अथक प्रयास के वावजूद भी कोई जानकारी उपलब्ध नही हो पायी काफी प्रयास करने के उंपरात दिनांक 29.1.16 को पहली बार प्रकरण के निरस्त की जानकारी हुई उसी दिन प्रकरण की नहल हेतुं आवेदन पत्र दिया जिसकी

रेस्टो० 9018-एक/16 (पुरना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15-3-16.	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 123[illegible]1–एक / 2013 आदेश दिनांक 15–12–2014 से इस आधार पर अदम पैरबी में निरस्त किया गया कि आवेदक की ओर से निगरानी प्रस्तुत करने के वाद कोई भी पैरबी हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है। इसी प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया है। 2 / आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जौदान व्दारा बताया गया कि आवेदक की निगरानी खारिज करने से पहले आवेदक व्दारा नियुक्त अभिभाषक ने न तो आवेदक को कोई सूचना दी एंव बिना सूचना दिये निगरानी खारिज करना आवेदक के साथ न्यायसंगत नहीं है इसलिये प्रकरण पुर्नस्थापित कर न्यायदान हेतु गुणदोष पर सुनवाई की जाय। 3 / संहिता, 1959 की धारा 35 (3) के आवेदन में वर्णित तथ्यों एंव आवेदक के अभिभाषक व्दारा किये गये तर्को पर विचार करने से धारा 35 (3) का आवेदन स्वीकार योग्य है। तद्नुसार न्यायालयीन प्रकरण कमांक 123[illegible]1–एक / 2013 पुर्नस्थापित करते हुये रेस्टो0 प्रकरण कमांक 9018–एक / 2016 स्वीकार कर इसी–स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	